कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही(छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक/1451/एस.डब्ल्यू/2021 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दिनांक 25 मार्च 2021

छ0ग0 राज्य में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, होलिका उत्सव, रंगपंचमी, गुडफ्राईडे, ईस्टर, रमजान तथा चैत्र नवरात्री के पर्व पर विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सोहाद्र का वातावरण निर्मित करने एवं कानून व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा, लोक परिशान्ति को कायम किये जाने हेतु किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसका उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का है।

राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड–19) नियत्रंण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय–समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरुप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।

दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, **नम्रता गाँधी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** निम्नलिखित आदेश प्रसारित करती हूँ :–

1. दिनांक 25/03/2021 से जिले में कोई भी व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुज्ञप्तिकारी हो, किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी डंडा लेकर घूमना वर्जित होगा। ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंधात्मक प्रभाव से मुक्त रहेंगे।
2. कोई भी व्यक्ति या समूह द्वारा इस प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डंडा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, ना ही चलने क लिए किसी को प्रेरित करेगा। 5 से अधिक व्यक्ति तथा समूह में पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
3. होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नही होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कडाई से पालन करते हुये अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें।
4. जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।
5. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

Scanned with CamScanner

6. समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

7. **सार्वजनिक स्थानों में मास्क नहीं लगाने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने तथा सेनीटाइज़र का उपयोग नहीं करने पर एक बार में 500/-रूपये तक का अर्थदंड आरोपित किया जाकर कडाई से वसूल की जावेगी।**

8. धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नही किया जावेगा।

9. विवाह/अंत्येष्टि/दशगात्र अथवा उससें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय–समय पर हाथ धोना/सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।

10. समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें।

11. दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेगें।

12. डी.जे., नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।

13. अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा।

14. सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने–जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

15. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड–19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वांरटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

16. यदि किसी क्षेत्र में कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Scanned with CamScanner

17. इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।

18. **गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** जिले में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशो का पालन नही करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

आज दिनांक 25/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ 1452/एस.डब्ल्यू/2021 **गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, दिनांक 25 मार्च, 2021**

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं पविार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, **बिलासपुर** संभाग, **बिलासपुर** की ओर सादर सूचनार्थ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, **बिलासपुर** रेंज, **बिलासपुर** की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, **गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. सर्व इंसिडेन्ट कमान्डर, जिला **गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला **गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned with CamScanner

8. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला **गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

9. **जिला** परिवहन अधिकारी, **गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। **गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** जिला अन्तर्गत आवा–गमन के दौरान उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।

10. **जिला** जनसंपर्क **अधिकारी,गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला **गौरेला-पेंड्रा-मरवाही** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत गौरेला/पेंड्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अन्तर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कोविड–19 उपयुक्त व्यवहार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

13. .... समस्त आम जनता, जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही द्वारा जिला जनसंपर्क अधिकारी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

25/3

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी,
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही(छ.ग.)

Scanned with CamScanner